FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सरकार **बनाम सीताराम**

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 - नम्बर–40 सन्– 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.6.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को बार–2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि जिस आवंटन आदेश को तहसीलदार दौसा द्वारा इस प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के द्वारा चुनौती दी गई है उस आवंटन आदेश को पूर्व में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में उनवानी आम जनता ग्राम जौंण बनाम आवंटन कमेटी जरिये उपखंड अधिकारी दौसा वगै0 प्रकरण संख्या 342/2005 विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2007 द्वारा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सीताराम को ग्राम जौंण स्थित खसरा नंबर 501/711 का आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा उसी आवंटन आदेश एवं उसी खसरा नंबर की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1989 को इस प्रार्थना पत्र 4(4) आवंटन नियम 1970 के द्वारा पुनः चुनौती दी गई है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक बार न्यायालय से जिस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.2007 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 342/2005 उनवानी आम जनता ग्राम जौंण बनाम आवंटन कमेटी जरिये उपखंड अधिकारी दौसा वगै0 का दिनांक 07.09.2007 को निर्णय जो कि मैरिट के आधार पर किया गया है, के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को आंशिक स्वीकार किया जाकर आवंटी सीताराम पुत्र भोंरीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हापावास को ग्राम जौंण स्थित खसरा नंबर 501/711 रकबा 0.28 है. का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 31.5.1989 को बहाल रखा गया है। एक बार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत हैं कि प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू है। अतः प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति एवं लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested